

08/09/20

वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन  
किया। प्रार्थी ने यह मुन्तखिली प्रार्थना पत्र SDO  
पहाड़ी श्री जगदीश आर्थ के विरुद्ध प्रस्तुत किया  
है। इसके तत्कालीन पीठाधीन अधिकारी श्री  
जगदीश आर्थ SDO पहाड़ी को अन्याय स्थानांतरण  
हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को यह मुन्तखिली  
प्रार्थना पत्र प्रभावहीन (Infructuous) होने से  
दूसरी stage या खारिज किया जाता है पत्रावली  
केवल शुभान् की तबदीली का।

जिला मजिस्ट्रेट  
अदालत (पहाड़ी)